कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर

(पंचालत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत संचालित)

!! संभागीय ग्रामीण हाट बाजार, बारादरी फूलबाग परिसर का वार्षिक रख–रखाव हेतु निविदा प्रारूप एवं शर्ते !!

संभागीय ग्रामीण हाट बाजार, बारादरी फूलबाग ग्वालियर परिसर के वार्षिक रख–रखाव हेतु इच्छुक एजेंसियों/पार्टियों से वर्ष 2010–11 के लिये निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । निविदा/प्रस्ताव की शर्ते निम्नानुसार होंगी :–

1. वार्षिक रखरखाव की अवधि 01–04–2010 से 31–03–2011 तक होगी।
2. एजेंसी को ईवेंट्स/रखरखाव का अनुभव आवश्यक है एवं ''ए क्लास का ठेकेदार का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। एजेंसी को ग्वालियर हाट के रखरखाव में हाट बाजार परिसर की साफ सफाई, उद्यानिकी, विद्युत मैंटीनेंस, पानी की सुचारू सप्लाई, परिसर की सामान्य सुरक्षा एवं परिसर के भवन की टूट–फूट की रिपयरिंग संबंधी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी का होगी।
3. एजेंसी को रू. 50,000/– की सुरक्षा निधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर के नाम से तैयार किये गये नगद राशि/ड्राफ्ट द्वारा करानी होगी।
4. मेला अवधि में साफ–सफाई कार्य के लिये आवश्यकता अनुसार पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा जिसका भुगतान जिला पंचायत या ग्वालियर हाट विपणन समिति द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा।
5. ग्वालियर हाट की साफ–सफाई का पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा। सफाई कर्मी वर्दी में मय मटेरियल के ग्वालियर हाट परिसर में उपलब्ध होंगे। इन कर्मियों को वर्दी एजेंसी प्रदान करेगी एवं मेला अवधि में कम से कम 15 डस्टविन मेला परिसर में उपलब्ध कराने होंगे।
6. हाट बाजार परिसर के विद्युत मैंटीनेंस हेतु इलैक्ट्रीशिन जो कि आईटीआई से विद्युत इलैक्ट्रीकल्स का डिप्लोमा प्राप्त हो एजेंसी को नियुक्त करना होगा। हाट बाजार परिसर में विद्युत मेंटीनेंस में उपयोग होने वाले सामान/टूट–फूट होने वाले सामान को बदलवाने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। विद्युत संबंधी लापरवाही से होने वाली किसी भी जान–माल की छति की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

7. एजेंसी को हाट बाजार परिसर में कम से कम 10 अग्निशमक यंत्र रखने होंगे।

8. हाट बाजार परिसर में वाटर कूलर, मटके, शौचालय एवं बाथरूम, अस्थायी फूडप्लाजा परिसर, बड़ी पानी की टंकी एवं छोटी पानी की टंकी में सुचारू रूप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी।

9. हाट बाजार परिसर में गार्डन, गमलों, क्यारियों एवं पेड़ पौधों की उद्यानिकी की व्यवस्था एजेंसी की होगी। पानी, खाद, मिट्टी, टूटे गमलों एवं पौधों को बदलवाने की पूर्ण व्यवस्था एजेंसी को करनी होगी।

10. हाट बाजार परिसर के रखरखाव हेतु अधिकतम शुल्क राशि रूपये 3.00 लाख निर्धारित किया जाता है। इससे न्यूनतम दर/प्रस्ताव प्राप्त होने वाली संस्था को ठेका दिया जावेगा। रखरखाव शुल्क का 4 समान किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा।

11. कार्य संतोषजनक नहीं होने एवं शर्तों के उल्लंघन करने पर सुरक्षा निधि राजसात करते हुए बिना नोटिस अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर स्वीकृत दरों को एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का अधिकार जिला पंचायत या प्रबंध संचालक, ग्वालियर हाट विपणन समिति के पास सुरक्षित होगा।

14. निविदाएं दो लिफाफे पद्धति के आधार पर ही स्वीकार की जावेंगीं। लिफाफा क्र–2 में केवल दरें प्रस्तुत करनी होंगी तथा लिफाफा क्र.–1 में अन्य जानकारियां/प्रमाणपत्र/सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने होंगे। पहले लिफाफा क्र.–1 उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोला जावेगा तथा समस्त दस्तावेज सही एवं पूर्ण होने पर लिफाफा क्र.–2 खोला जावेगा। लिफाफे के ऊपर लिफाफा क्र. तथा निविदा वार्शिक रख–रखाव हेतु आवश्यक रूप में लिखा जावे।

15. अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर की स्वीकृति से अनुबन्ध की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी अथवा पुनः टेण्डर/बुलाने की प्रक्रिया की जावेगी।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि वह भाासन हित/जनहित में ऑफरदाता की सहमति से अनुबन्ध में अतिरिक्त भार्तें जोड़ सकेगा।

17. निविदा प्रपत्र कार्यालय जिला पंचायत, ग्वालियर से विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 12—04—2010 को दोपहर 2:00 बजे तक रूपये 500/— नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के नाम देय हो) प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते है। सीलबन्द निविदायें दिनांक 12—04—2010 को सॉय 4:00 बजे तक जमा की जा सकती है। प्राप्त निविदाऍ दिनांक 13—04—2010 को सॉय 4:00 बजे निविदा समिति के द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोले जावेगें।

18. इस विषय पर किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालय विवाद का क्षेत्र ग्वालियर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, ग्वालियर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंयायत,
ग्वालियर

मैं ———————————————————— फर्म का नाम (यदि हो तो) पता ———————————————————— दूरभाष नं. ...., मोबाईल नं. .... आपके द्वारा जारी वार्शिक रख–रखाव कार्य करने को सहमत हूॅ। मेरे द्वारा निविदा–पत्र में दी गई शर्तें पढ़कर समझ ली गई है तथा मुझे स्वीकार हैं तथा यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकृत होती हैं तो इन भार्तों पर मुझे/फर्म का नाम ———————————————— कार्य करने हेतु सहमत हूॅ।

<u>वार्शिक रख–रखाव की निविदा दरें निम्नानुसार है :–</u>

————————————————————

————————————————————

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

स्थान ——————————————

नाम/फर्म का नाम (यदि हो तो)

————————————————

<u>निविदाकार से संबंधित पूरक जानकारियॉ</u>

1. निविदाकार / फर्म के प्रतिष्ठानों का पूर्ण विवरण / पता।
2. पंजीकरण विवरण (यदि हो तो)।
3. वर्तमान व्यवसाय का विवरण / अनुभव।
4. पार्टनशिप विवरण (यदि कोई हो तो)।
5. वार्षिक व्यवसाय का विवरण (टर्नओवर)।
6. आयकर पेन नं. (यदि कोई हो तो)।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)